न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 489 सन 2019

अनवान :—

1. सुनिल कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कपिल कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 27/12/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा 17 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 2.8210हैक एवं रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 43/31 की कुल2.7830 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नत्थराम पुत्र सुरजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नत्थराम पुत्र सुरजाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नत्थराम पुत्र सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता नत्थराम पुत्र सुरजाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से बाहमी विभाजन क लिया है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादी के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा 17 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 2.8210हैक एवं रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 43/31 की कुल2.7830 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी
नोहर

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नत्थुराम पुत्र सुरजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नत्थुराम पुत्र सुरजाराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नत्थुराम पुत्र सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से अपने हक हिस्सा के अनुसार परिवारिक बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 17 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 2.8210हैक एवं रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 43/31 की कुल2.7830 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि नत्थुराम पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नत्थुराम पुत्र सुरजाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा नत्थुराम पुत्र सुरजाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के हकदार है।

वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने काश्त की सूविधा के मध्यनजर बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 17 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 2.8210हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में 2 हैक्टर भूमि का वाद संख्या 1 खातेदार काश्तकार है शेष 0.8210 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 43/31 की कुल 2.7830हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से 2 हैक्टयर भूमि का वादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार है शेष 0.7830 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुनिल कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कपिल कुमार पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 489 सन 2019 निर्णय दिनांक– 27/12/19

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 17 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 2.8210हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में 2 हैक्टर भूमि का वाद संख्या 1 खातेदार काश्तकार है शेष 0.8210 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 43/31 की कुल 2.7830हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से 2 हैक्टयर भूमि का वादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार है शेष 0.7830 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)